जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक :एफ.जे.यू./यंत्री./2022/04 दिनांक:10/01/2022

//सूचना–पत्र//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल से जारी आदेश क्रमांक एफ 19–65/2021/1/4 भोपाल दिनॉक 26 नबंम्बर 2021 को जारी किया गया है। जिसमें समस्त शासकीय कार्यालयों में ऊर्जा खपत में कम से कम 10 प्रतिशत विधुत बचत सुनिशिचत करने एवं शासकीय कार्यालयों में ऊर्जा का अपव्यय न हो यह भी अपेक्षा है। अतः सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने आवासों में भी ऊर्जा की कम से कम 10 प्रतिशत अपेक्षा न्यूनतम है इसे और अधिक बढाने का निम्न प्रयास करना चाहिये।

1. कार्यालय में जरूरत न होने पर उपकरण को मुख्य स्विच से स्विच ऑफ करें।
2. कार्यालय से जाते समय समस्त विधुत उपकरणों को स्विच ऑफ करें।
3. कार्यालयों मे सामान्य बल्व की जगह गुणवत्तायुक्त एल.ई.डी. बल्व का उपयोग करें, जो सामान्य बल्व अपेक्षा विधुत की बचत करते है एवं अधिक समय तक खराब भी नही होते है।
4. कार्यालयों में दिन के समय कम बल्ब, न्यूनतम आवश्यकतानुसार उपयोग .करें।
5. कंप्यूटर में स्क्रीन सेवन का उपयोग न करते हुये स्क्रीन सेवन की जगह ब्लैंक पर सेटिंग करें इससे बिजली की बचत होगी।
6. एयर कंडीशनर (ए.सी.) को आदर्श तापमान पर सेटिंग करें एवं यदि आवश्यक न हो तो एयर कंडीशनर का उपयोग न करें।
7. कम्प्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, कोपियर को स्लीप मोड मे सेटिंग करें, जिससे विधुत की बचत होगी।
8. कार्यालय में पंखे को नियंत्रित करने के लिये इलैक्ट्रोनिक रेगुरेटर का उपयोग करें।

अतः उक्त बिन्दुओ पर अमल कर ऊर्जा अपव्यय को रोक कर कम से कम 10 प्रतिशत या उससे अधिक विधुत बचत सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि : –

1 माननीय कुलपतिजी के सचिव की ओर सूचनार्थ, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।
2 माननीय कुलसचिव के सचिव की ओर सूचनार्थ, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।
3 वित्त नियंत्रक की ओर सूचनार्थ, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।
4 समस्त विभागाध्यक्ष/समंवयक/शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।

वि.वि.यंत्री